अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2014/00050 बादाम V/s रामस्वरूप

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुलवीर सिंह चौहान श्री अपील सं. 2/6,8/17 अ/ 64-16, अप्रा.1, तथा अप्र.	

6/6/23

बादाम बनाम रामस्वरूप(2014/00050)

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 02.06.2023 प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना कन्टेम्प्ट बाबत कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 125/2012 में दिनांक 24.02.2012 को उपखण्ड अधिकारी, केकडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2005 एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10.10.2007, वाद संख्या 1/1997 में अंकित आराजी की आगामी पेशी दिनांक 27.04.2012 तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे एवं विवादित आराजी को रहन, बय व मुंतकिल नही करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश को लगातार पेशी दर पेशी बढाया गया है जिसकी सत्य प्रति समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय तथा तहसीलदार केकडी में पालना करवाने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थीगण उक्त विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द करने तथा उसका स्वरूप बिगाडने के लिए लगातार प्रयासरत है तथा माननीय न्यायालय के आदेशों की जानबूझ कर पालना नही कर रहे है, मौके पर विवादित कृषि भूमि को अनाधिकृत रूप से आवासीय प्रयोजन हेतु बिना संपरिवर्तन कराये बिना, विधि विरूद्ध तरीके से जबरन गैर कानूनी रूप से विवादित कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग करने की नियत से ट्रेक्टर चला कर समतलीकरण कर रहे है। भू-खण्ड काटने के प्रयोजन से मार्किंग कर रहे है। भूखण्डों पर नीवें खोद रहे है सड़के बना रहे है जो गैरकानूनी व अवैध कार्य है। अपीलार्थीगण की ओर से कई बार उक्त यथास्थिति के आदेशों का हवाला देते हुए विरोध भी कर रहे है लेकिन प्रत्यर्थीगण माननीय न्यायालय के आदेश की लगातार अवहेलना कर रहे है। यदि प्रत्यर्थीगण को माननीय न्यायलय के आदेश की पालना सुनिश्चित नही की गयी तो अपीलार्थी न्याय से वंचित हो जायेंगे तथा विवातिद कृषि भूमि खुर्द बुर्द होने पर अपील का उद्देश्य ही निष्फल हो जावेगा जिससे अपीलार्थीगण को अनावश्यक रूप से अपने तात्विक अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिए वंचित होना पडेगा। प्रत्यर्थीगण माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना जानबूझ कर नहीं कर रहे है तथा अपीलार्थीगण को न्याय से वंचित करने पर आमादा हुए है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.02.2012 की अवहेलना करने के लिए प्रत्यर्थीगण की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क की जाये तथा सिविल जेल भेजा जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

अभिभाषक प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2012 की जानकारी होने के बाजवूद भी आदेश की अवमानना की है इसलिए उनको न्यायहित में दंण्डित किया जावें क्योंकि अप्रार्थीगण के इस प्रकार से विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द करने तथा उसका स्वरूप बिगाड़ने के द्वारा लिए प्रयासरत है तथा मौके पर विवादित कृषि भूमि को अनाधिकृत रूप से आवासीय प्रयोजन हेतु बिना संपरिवर्तन कराये बिना कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन हेतु भू-खण्ड काटने के प्रयोजन से मार्किंग कर रहे है। प्रार्थीगण के द्वारा अवमानना प्रार्थना-पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जबकि प्रार्थीगण को प्रार्थना-पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कन्टे. प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कियां है कि जिससे यह ज्ञात हो कि अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 24.02.2012 की अवमानना की जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है।

CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

99/2014/प्र० पत्रक…   बदाम पी/S रामस्वरूप

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पेशी	2014/00050 श्री तुलसीसिंह चौधरी श्री GA-16, अपील सं. 2,6,8,17 अपील सं. 1,7	
लगातार	अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	